प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.02.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री प्रताप सिंह तोमर थाना लिंकरोड गाजियाबाद द्वारा की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नितिन शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लिंकरोड, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-304 भादवि में अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश बहादुर, वर्तमान निवासी- ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद स्थायी पता- 154 ग्राम खुली थाना भमोरा जनपद बरेली को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-06 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 13.02.2026 को धारा- 304 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री नितिन शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**मु0आ0 जितेन्द्र कुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 मनोज कुमार** पैरोकार थाना लिंकरोड

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किये 12 बंडल तार (कॉपर धातु के वजन 20 किलो ग्राम) व 2050 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-आज दिनांक 13.02.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्ता अस्मा खातून पत्नी नौशाद मियां निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल पता कुटकुरी औरंगाबाद बिहार उम्र करीब 41 वर्ष को डाबर तिराहे के पास सर्विस रोड थाना लिंकरोड से चोरी के 12 बण्डल तार व 2050 रु0 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 306/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्ता अस्मा खातून उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं महाराजपुर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती हूँ। मैं पिछले तीन महीने से उस फैक्ट्री में काम कर रही थी। फैक्ट्री में तारों के बंडल बनते हैं, तथा मुझे पैसों की बहुत जरुरत थी। इसलिये फैक्ट्री में मौका मिलने पर में वहाँ से कभी - कभी तार का बंडल अपने साल में छुपाकर अपने साथ ले आती थी जिसे में चलते फिरते लोगों को कम दामों पर बेच देती थी। मुझे उनके नाम पता नही मालूम है मुझे नहीं पता था कि फैक्ट्री में हर जगह कैमरे लगे हैं आज मैं बचे हुए तार के बंडल बेचने के लिए जा रही थी कि, आपने मुझे पकड लिया मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

अस्मा खातून पत्नी नौशाद मियां निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल पता कुटकुरी औरंगाबाद बिहार उम्र करीब 41 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

12 बंडल तार (कॉपर धातु के वजन 20 किलो ग्राम) व 2050 रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्ता आस्मा के विरुद्ध थाना लिंकरोड में उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.01.2026 को थाना लिंकरोड पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में धारा- 75 बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त सोनू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी खुर्जा गेट पुलिस चौकी के पास चुन्नी मोहल्ला चंदौसी थाना कोतवाली चंदौसी जनपद मुरादाबाद व वर्तमान पता म0नं0 216 गली न0 12 ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट थाना लिंकरोड के पास गिरफ्तार किया तथा थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा पीड़िता के मा0 न्यायालय में बयानों के आधार पर धारा 65(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै मुरादाबाद का रहने वाला हूँ व मै अनपढ़ हूँ। केबल लाइन में फ्रेन्च कॉलोनी झिलमिल दिल्ली में काम करता हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाली, वादी की पुत्री अक्सर खेलने के लिए मेरे घर आती थी और वह दिनांक 09.02.2026 को रोज की तरह खेलने आई थी। साहब उस समय मै शराब के नशे मे मैंने उसके साथ गलत हरकत कर दी थी। जब उसके घर वालों को पता चला तो मुकदमा लिखवा दिया। मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- सोनू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी खुर्जा गेट पुलिस चौकी के पास चुन्नी मोहल्ला चंदौसी थाना कोतवाली चंदौसी जनपद मुरादाबाद व वर्तमान पता म0नं0 216 गली न0 12 ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू शर्मा के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना लिंकरोड में उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।